यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्षियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्ट–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर
पिन–201308 (उ0प्र0)दूरभाष न0: 0120 – 2395153/57/58, फैक्स न0: 0120– 2395150

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/499 /2021

दिनांक– 08/07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2021 में संचालक मण्डल के समक्ष यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण आबादी भूमि आवंटन विनियमावली 2010 प्रथम संशोधन के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था, संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त वर्णित यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण आवंटन विनियमावली 2010 प्रथम संशोधन के स्थान पर इसे यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण आबादी भूमि आवंटन प्रक्रिया–2010 (प्रथम संशोधन) लिखा जाये तथा प्रक्रिया निम्नानुसार अनुमोदित की गयी–

यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण की आबादी भूमि आवंटन प्रक्रिया–2010 में प्रक्रिया संख्या 5 का संशोधन निम्नवत् होगा–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपप्रक्रिया	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपप्रक्रिया
5.1 आबादी आबंटन हेतु संबंधित ग्राम के मूल / पुश्तैनी काश्तकारों से मूल / पुश्तैनी काश्तकार होने के संबंध में प्रार्थना पत्र व आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने के उपरांत खातावार प्रारंभिक सूची भूलेख विभाग के लेखपाल/ भू–लेख निरीक्षक द्वारा तैयार की जायेगी। इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी।	5.1 आबादी आबंटन हेतु संबंधित ग्राम के मूल/पुश्तैनी काश्तकारों से मूल/पुश्तैनी काश्तकार होने के संबंध में प्रार्थना पत्र व आवश्यक अभिलेख तथा तहसील से आख्या प्राप्त करने के उपरांत प्रारंभिक सूची भूलेख विभाग के लेखपाल/ भू–लेख निरीक्षक द्वारा तैयार की जायेगी। जिसका परीक्षण एक उप समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें नायब तहसीलदार यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक (परियोजना/ नियोजन) तथा सहायक विधि अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सदस्य होगें। इस प्रारंभिक सूची के प्रकाशन को निरसित कर दिया गया है।
5.2 प्रारंभिक सूची का परीक्षण एक उप समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें नायब तहसीलदार यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक (परियोजना/ नियोजन) तथा सहायक विधि अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सदस्य होगें।	5.2 निरसित कर दिया गया है।
5.3 उप समिति द्वारा परीक्षित सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जायेगा जिसमें आबादी भूमि आबंटन हेतु पात्र कृषकों की अर्जित भूमि तथा आबादी भूमि आबंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण अंकित किया जायेगा। प्राधिकरण की अर्जित/ पुनर्ग्रहीत भूमि पर जिन काश्तकारों का अतिक्रमण है उनकी सूची पृथक से तैयार की जायेगी। इसी प्रकार प्राधिकरण के विरूद्ध वादरत काश्तकारों की सूची भी पृथक से तैयार की जायेगी। यह	5.3 उप समिति द्वारा परीक्षित सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जायेगा जिसमें आबादी भूमि आबंटन हेतु पात्र कृषकों की अर्जित भूमि तथा आबादी भूमि आबंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण अंकित किया जायेगा। प्राधिकरण की अर्जित/पुनर्ग्रहीत भूमि पर जिन काश्तकारों का अतिक्रमण है उनकी सूची पृथक से तैयार की जायेगी। इसी प्रकार प्राधिकरण के विरूद्ध वादरत काश्तकारों की सूची भी पृथक से तैयार की जायेगी। यह सूचियॉ प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड

सूचियॉ प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी तथा इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी।	पर लगायी जायेगी तथा इस संबंध में विस्तृत सार्वजनिक सूचना 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों व एक स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करायी जायेगी।
5.5 उप समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण कर अंतिम रूप से पात्र व्यक्तियों की सूची का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें डिप्टी कलेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, उप महाप्रबधंक (परियोजना), उप महाप्रबंधक (नियोजन), तहसीलदार व विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी, वाई.ई.ए. सदस्य होगें। उक्त समिति द्वारा परीक्षणोपरांत अपनी संस्तुति सक्षम अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अंतिम सूची को प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी।	5.5 उप समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण कर अंतिम रूप से पात्र व्यक्तियों की सूची का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, उप महाप्रबधंक (परियोजना), उप महाप्रबंधक (नियोजन), तहसीलदार व विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी, वाई.ई.ए. सदस्य होगें। उक्त समिति द्वारा परीक्षणोपरांत अपनी संस्तुति सक्षम अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अंतिम सूची को प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मोनिका रानी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस0जी0)/(एस0बी0) यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।
3. महाप्रबंधक (वित्त), यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।
4. महाप्रबंधक (परियोजना), यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।
5. महाप्रबंधक (नियोजन),यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।
6. डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/ना0 तहसीलदार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।
7. विधि अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।
8. प्रबंधक सम्पत्ति, यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण।